



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(7TH / 8TH Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad)

भाग—द

परिशिष्ट—6
(प्रपत्र—‘ब’) पृष्ठ 4/4)

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण—पत्र :

श्री दुर्गादास एवं श्री भीमन दास विकासकर्ता श्री हेमन्त कुमार सिन्धी द्वारा नजूल प्लॉट नं०—84, 85 एवं 101 (उपविभाजित सं०—84, 85, 101/6 एवं 84, 85, 101/7 लूकरगंज इलाहाबाद (क्षेत्रफल 1394.39 वर्गमीटर) पर पंक्तिबद्ध आवास मानचित्र पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण—पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री गौरी शंकर, सहायक अभियन्ता श्री मानवेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता श्री आर०डी० राय द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत पंक्तिबद्ध आवास मानचित्र परमिट संख्या—146/प्र०अ०(त०स०)/जोन—2/R.H/2013—14 दिनांक 21.12.2013 के अनुरूप सही पाया गया है। इन्जीनियर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 23-07-2017 के क्रम में उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा—15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :—

1. अधि०अभि०, भू०ज०वि०खं०—यॉ०
प०सं०—63/भू०ज०वि०खं०—यॉ०/रे०वा०हा०
दिनांक 27.04.2017
2. सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा इलाहाबाद
प०सं०—196/स०नि०/इला०जोन/17—18
दिनांक 04.05.2017

हस्ताक्षर —

सचिव / अपर सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पदनाम : सचिव / अपर सचिव

कार्यालय की मुहर

दिनांक : 01 अगस्त, 2017

पत्रांक : 146/प्र०अ०(त०स०)/जोन—2/R.H/13—14
115/प्र०अ०(त०स०)/C.C/R.H/17-18